पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 261/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 23.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 23.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयीः-

01-थाना गम्भीरपुर : अवैध तमंचा - कारतूस के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा अवैध असलहा रखने, बेचने व तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.08.2024 को उ0नि0 सिन्धीलाल सोनकर मय हमराह रसूलपुर माफी तिराहे से अभियुक्त सादाब आलम पुत्र अजमातुल्लाह निवासी फैजुल्लापुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र लगभग 32 वर्ष को 01 अवैध तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस .315 बोर के साथ समय करीब 05.40 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरादमगी के आधार पर थाना गम्भीरपुर पर मु0अ0सं0-325/2024 धारा-3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0-325/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

2.मु0अ0सं0-93/2024 धारा-363/366 भादवि थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

3.मु0अ0सं0-258/2024 धारा-85 बीएनएस व 3/4 डीपी एक्ट थाना गम्भीरपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 सिन्धीलाल सोनकर, का0 रत्नेश कुमार प्रसाद, का0 अजीत विश्वकर्मा थाना गम्भीरपुर आजमगढ़।

02-थाना दीदारगंज : नौकरी दिलाने के नाम धोखाधडी कर 230000/- रुपये ठगने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना- अवगत कराना है दिनांक 21.02.2024 को वादी मुकदमा विकास यादव पुत्र स्व0 दयाशंकर यादव ग्राम कौरा गहनी थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना दीदारगंज पर तहरीर दिया गया था कि अभियुक्तों 1.आकाश यादव पुत्र रामअशीष यादव ग्राम व पो0 बीबीगंज, अम्बारी थाना दीदारगंज जनपद- आजमगढ़ 2. प्रेम प्रकाश मौर्या पुत्र रामदास मौर्या ग्राम व पो0 नौहरा, थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ 3. सुशील कुमार मौर्य पुत्र ओमप्रकाश पता ग्राम बदलापुर खुर्द थाना बदलापुर जनपद जौनपुर ने वादी की नौकरी लगवाने के नाम पर 2,30,000/- रुपये लेकर वादी को कूटरचित नियुक्ति पत्र दे दिये जिसके सम्बन्ध में थाना दीदारगंज पर मु0अ0सं0- 43/24 धारा 406,419,420,504,506, भादवि0 पंजीकृत कर दौरान विवेचना धारा 467/468/471 की बढोत्तरी की गयी है।

गिरफ्तारी का विवरण-
आज दिनांक 23.08.2024 को उ0नि0 संतोष दीक्षित मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त आकाश यादव पुत्र रामअशीष यादव ग्राम व पो0 बीबीगंज, अम्बारी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष को सुघरपुर तिराहा से समय करीब 08.05 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 संतोष दीक्षित, हे0का0 मुन्ना यादव थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़।

03-थाना दीदारगंज : गोवध गिरोह का सदस्य पिकअप वाहन पर लदे 03 पशु व अवैध तमन्च-कारतूस के साथ गिरफ्तार

अवगत कराना है कि **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना** द्वारा अवैध असलहा रखने, बेचने व तस्करी करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में आज दिनांक 23.08.2024 को उ0नि0 नागेन्द्र पाण्डेय मय हमराह द्वारा शहीद रामाश्रय यादव गेट (हड़वा-समुद्रपुर मार्ग) से पशु लदी पिकअप को चालक नितिश कुमार चौहान पुत्र विजय बहादुर चौहान ग्राम लोनिया पट्टी थान खुटहन जनपद जौनपुर उम्र 27 वर्ष के साथ पकडा गया। जामा तलाशी के दौरान अभियुक्त नितिश कुमार के पास से 01 कट्टा, 01 जिंदा कारतूस 303 बोर बरामद हुआ जिसे समय करीब 03:50 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरादमगी के आधार थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 220/24 धारा 3/5A/8 गो0नि0अधि0 व 11 पशु क्रुरता तथा 3/7/25 A Act पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

➡ गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि वह पशुओ को ले जाकर कर उनके मांस को बेचता है। यह कार्य अभियुक्त अपने गिरोह के साथियों की मदद से करता है।

बरामदगी- 01 तमंचा, 01 जिन्दा कारतूस 303 बोर, 01 पिकअप वाहन, 03 प्रतिबन्धित पशु

गिरफ्तार करने वाली पुलिसल टीम- प्र0नि0 अखिलेश कुमार, उ0नि0 नागेन्द्र पाण्डेय, हे0का0 गुलाब यादव, का0 उपेन्द्र कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़।